

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवारी—अप्रैल, 1995 सत्र

केनियक अवार्ड सूची

गुरुवार, दिनांक 2 मार्च, 1995 (फाल्गुन 11, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः विलित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेगे।

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकरण

(1) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, ग्वालियर जिले में आदिमजाति कल्पाण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में गम्भीर अनियमितताएं होने की ओर आदिम जाति कल्पाण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री बच्चन नाथक, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, जबलपुर के सुन्दरपुर जंगल में खुलाई के दौरान सोना पाये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री ओमप्रकाश खटीक, निर्भय सिंह पटेल, ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, प्रदेश के कृषकों को महुआ फसल का उचित मूल्य न मिल पाने की ओर राज्यमंत्री विधिजित कर का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री आर्द्ध प्रताप सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के नन्दनवारा लालाब के आसपास खुलाई एवं क्लस्टिंग से हो रही झति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य सागर में आबकारी टेके की नीलामी में अनियमितता होने की ओर राज्यमंत्री विधिजित कर का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) सर्वश्री मोती कश्यप, ओकार प्रसाद लिवारी, सदस्य, जबलपुर में मदन महल धौक पर ट्रक की टक्कर से एक बालक की मौत से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) सर्वश्री सीनेराम कुशवाह, बाबूलाल गौर, सदस्य, मुरैना जिले के अशास्कीय स्कूलों को अवैध रूप से शासनाधीन किये जाने की ओर और स्कूल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री कैलाश चावला, सदस्य, पंदसीर जिले के ग्राम भानपुर के कृषकों को अनुदान राशि वितरण में अनियमितता होने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री कंकर मुजारे, डॉ. गोरीशकर शेजवार, सदस्य, जबलपुर के कुठला धानान्तर्गत एक पुजारी के परिवार के साथ मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री कृष्णमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायपुर के ग्राम हौटा के सरपंच की हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों के परीक्षण करने संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

4. वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर समाच्चरण (बज़मश)

भोपाल :
दिनांक : 1 मार्च, 1995

शीला जाज्ञा
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा